सत्यमेव जयते

No.1/6/2019-Coord.
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

******

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi -110003
Dated: 8th July, 2019

To,

1 Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2 Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3 Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4 Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5 Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member

Subject: Summary Record of discussions of 115th Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 04.06.2019 at 2:00 P.M.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 115th meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on **04.06.2019 at 2:00 P.M.** in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(R.K.Dubey)
Assistant Director(Admn.)

Copy for necessary action, a copy of the Summary Record of discussions of 115th meeting of NCST is enclosed. The action taken report in the matter may be intimated to Coord. Section by 29-07-2019

(i) Director (RU-II & III)
(ii) Assistant Director (RU-II)
(iii) Assistant Director (RU-I & OL)
(iv) Research Officer (RU-IV)

Copy for information of the Summary Record of discussion of 113th Meeting of NCST:

1. PS to Hon'ble Chairman, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairman, NCST
3. PA to Hon'ble Member(HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member(HCV), NCST
5. PS to Hon'ble Member(MCI), NCST
6. Sr.PPS to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Secretary, MoTA, Shastri Bhawan, New Delhi.
9. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
10. NIC, NCST for uploading on the website.

National Commission for Scheduled Tribes

Minutes of the 115th Meeting held on 04-06-2019

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 115 वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त

(फाईल सं. 1/6/2019–समन्वय)

दिनांक : 04.06.2019 समय : 02.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003.

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री हरिकृष्ण डामोर, माननीय सदस्य
3. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, माननीय सदस्या
4. श्री ए.के.सिंह, सचिव
5. श्री एस.के.रथ, संयुक्त सचिव
6. डॉ. ललित लट्टा, निदेशक
7. श्री एस.पी.मीना, सहायक निदेशक
8. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक (राजभाषा)
9. श्री राकेश कुमार दूबे, सहायक निदेशक (प्रशासन)
10. श्री वाई.के.बंसल, अनुसंधान अधिकारी
11. श्री आर एस मिश्रा, वरिष्ठ अन्वेषक
12. श्री विकास कुमार शर्मा, कानूनी सलाहकार

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मंदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिया गए:

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No.- 1	Sub:-Draft Note for the Cabinet on implementation of decisions taken in the meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs held on 17.12.2018.

No. Policy -02/Cabinet Note/2018/RU-II

Ministry of Tribal Affairs has forwarded a copy of O.M. dated 11th April, 2019, received in the Commission on 16.04.2019 enclosing with a copy of Draft Note for the Cabinet regarding implementation of decisions taken in the meeting of the Cabinet Committee on Economic Affairs held on 17.12.2018. In this regard, Ministry has requested to NCST to furnish the comments on the above mentioned subject by 26.04.2019.

2. During the budget announcement for 2018-19, Government has announced that "The Government is committed to provide the best quality education to the Tribal Children in their own environment. To realize this mission n, it has been decided that by the year 2022, every block with more than 50 % ST population and at least 20, 000 tribal persons, will have an Eklavya Model Residential School. Eklavya Schools will be on part with Navoday Vidyalayas and will have special facilities for preserving local art and culture besides providing training in sports and skill development."

3. Across the country, as per census of 2011 figures, there are 564 sub-districts i.e. blocks/taluka/tehsil having **more than 50% ST population and at least 20,000 tribal persons**. Out of these sub-districts, at present 102 sub-districts have EMRSs. Hence, it is proposed to establish **new EMRSs in the remaining 462 sub-districts by the year 2022.**

4. In terms of the aforesaid budget announcement, scheme was formulated and approved by EFC in its meeting held on 27.06.2018. Accordingly, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), in its meeting held on 17.12.2018 inter-alia approved the several points.

5. Setting up of **EMRSs in 462 blocks** having more than **50 % ST population and at least 20000 ST population by the year 2022 including 12 Eklavya Model Day Boarding School(EMDBS).** Financial provision for 145 EMRSs and 5 EMDBSs during 2018-19 and 2019-20. In furtherance of the decision of Cabinet/CCEA, a National Education Society for Tribal Students as an autonomous Society has been set up under the chairmanship of Secretary, M/o Tribal Affairs to runs the EMRSs with the various objectives.

6. The National Education Society for Tribal Students has been initially registered with the Senior Officers of Ministry of Tribal Affairs and General Manager (Finance), NSTFDC and Apex Organization under M/o Tribal Affairs.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. This matter related creation of posts within the society is being pursued separately with the Ministry of Finance. In principle approval for creation of the post of Commissioner, National Education Society for Tribal Students. This will facilitate day to day running of the Society and effective and efficient management of the EMRSs/EMDBS and the Centre of Excellence in Sports to be run by the Society. The clearance of norms for academic and non-academic staff will facilitate smooth running of EMRSs/EMDBS/Centre of Excellence for Sports as per spirit of the decision of CCEA.

[इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग का मत है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के कार्यों को देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोद्य विद्यालय की तरह एक समिति का गठन करना चाहिए। आयोग दिनांक 08.05.2018 को आयोजित एनसीएसटी की 104 वीं बैठक में किए गए सिफारिशों को दोहराता है जिसे नीचे दिया गया है:–

1. एकलव्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए पृथक संवर्ग बनाया जाना चाहिए।
2. एकल्व्य विद्यालय के परिसर में ही शिक्षकों के लिए आवास/क्वार्टर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए
3. एकलव्य विद्यालय को नवोद्य विद्यालय के समतुल्य बनाया जाना चाहिए।]

(The matter was discussed in detail. The Commission is of the view that a society like Kendriya Vidhyalaya and Jawahar Navodaya Vidhyalaya should be formed to oversee functioning of EMRs effectively. The Commission further reiterates its recommendations made in the 104th Meeting of the NCST held on 8.5.2018, which is reproduced below:-

i) A separate cadre should be made for the teachers of Ekalavaya School.
ii) Provisions should be made for accommodation/quarters for Ekalavaya School teachers in the premises of the School.
iii) The standards of Ekalyavaya School should be equivalent to navodaya School.)

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं0 2	मणिपुर लोक सेवा वितरण गारंटी विधेयक और मणिपुर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिल तैयार करना।

फाइल संख्या नीति/01/मणिपुर/2019/आरयू- II

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग महानिदेशालय, मणिपुर सरकार ने दिनांक 6 मई, 2019 के अपने पत्र संख्या एल-244 / आईएनडी / 2019 के साथ मणिपुर लोक सेवा प्रदाय गारंटी विधेयक, 2019 और मणिपुर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिल, 2019 की प्रतियां उपर्युक्त को भेज दी है।

2. इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने कहा है कि मणिपुर लोक सेवा वितरण गारंटी विधेयक, 2019 नागरिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करता है और संविधि के तहत निर्धारित सेवा प्रदान करने में चूक करने वाले त्रुटिपूर्ण लोक सेवक को दंडित करने और साथ ही सरकारी अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी कारवाई करता है।

3. राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मणिपुर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बिल, 2019 लाया गया है। इस बिल का उद्देश्य मणिपुर राज्य में निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही और शीघ्र निकासी प्रदान करना एवं निवेश प्रोत्साहन नीतियों को लागू करना है, जिसकी घोषणा राज्य सरकार समय-समय पर कर सकती है। इस संबंध में, मणिपुर राज्य सरकार ने आयोग से राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार / टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

4. उपरोक्त के अनुसार, हम व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग महानिदेशालय, मणिपुर सरकार के प्रस्ताव को आयोग की बैठक में विचरण एवं आगे निर्देशों के लिए रख सकते हैं।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No.- 2	Framing of Manipur Public Service Delivery Guarantee Act and Manipur Bureau of Investment Promotion Act.

File No.Policy/01/Manipur/2019/RU-II

Directorate General of Trade, Commerce & Industries, Government of Manipur has forwarded a copy of their letter No. L-244/IND/2019 dated 6th May, 2019 enclosing copies of Manipur Public Service Delivery Guarantee Bill, 2019 and Manipur Bureau of Investment Promotion Bill, 2019 on the above mentioned.

2. In this context, the State Government has stated that the Manipur Public Service Delivery Guarantee Bill, 2019 ensures time bound delivery of services of various public services rendered by the Government to citizen and provides mechanism for punishing the errant public servant who is deficient in providing the service stipulated under the statute and also reduce corruption among the government officials and to increase transparency and public accountability.

3. The State Government has also stated that the Manipur Bureau of Investment Promotion Bill, 2019 to attract investors in the state. The purpose of this bill provide speedy processing of applications and expeditious clearance of investment proposals in the State of Manipur and to implement investment promotion policies may be announced by the State Government from time to time. In this regard, State Government of Manipur has requested to the Commission to furnish the views/comments on the state government proposals.

4. In view of the above, we may send the proposal of the Directorate General of Trade, Commerce & Industries, and Government of Manipur for consideration in the Commission's meeting and further direction, please.

[इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मणिपुर सरकार, मणिपुर लोकसेवा वितरण गांरटी विधेयक, 2019 को सीधे अनुसूचित जनजाति आयोग के पास अपना मत प्रस्तुत करने हेतु भेजा है। आयोग का यह मत है कि उपरोक्त विधेयक जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से भेजा जाए तभी आयोग इस पर अपना मत प्रस्तुत करेगा]

[The matter was discussed in detail. Manipur Government has sent the Manipur Public Service Delivery Guarantee Bill, 2019, directly to the National Commission for Scheduled Tribes for its comments. The Commission is of the view that the above bill be sent through Ministry of Tribal Affairs after which the Commission will present its view on this subject].

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

मद स. 3	लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर कार्रवाई हेतु कैबिनेट नोट।

फाइल संख्या – मीटिंग /4/2019/आरयू-III

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 20025/11/2019 दिनांक 09/04/2019 के द्वारा सचिव, विधायी विभाग के अ.शा. पत्र संख्या **17 (2) / 2018**- लेग. III दिनांकित 28 फरवरी 2019 की एक प्रति के साथ कैबिनेट नोट को अग्रेषित किया है। "लाभ के पद" की अभिव्यक्ति भारत के संविधान 18 (3), 18 (4), 58 (2), 66 (4), 102 (1) (क), 158 (2) और 191 (1) (क) में संदर्भित है। संविधान का अनुच्छेद 102 संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 102 के उपखंड (क) के खंड (1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह संसद द्वारा घोषित किसी कार्यालय के अलावा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत है । समान प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 191 के उपखंड (क) के उपखंड (1) में निहित है जो राज्य की विधानसभाओं की सदस्यता की अयोग्यता को नियंत्रित करता है।

रिपोर्ट के भाग- II में, संयुक्त समिति ने "लाभ के **पद**" और इसकी व्यवहार्यता की परिभाषा पर विचार किया है। भारत के महान्यायवादी सहित संवैधानिक विशेषज्ञों का विचार था कि "लाभ का पद" की परिभाषा एक सैद्धांतिक संभावना थी, इसका अनुप्रयोग, इसके मुद्दे के संपूर्ण सरगम को शामिल करना, शब्दों की व्याख्या, वाक्यांश / खंड इसमें निहित हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई अदालती मामले सामने आएंगे जिनके वांछित परिणाम प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। उनमें से अधिकांश किसी भी परिभाषा को विकसित करने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा, "लाभ के पद" को परिभाषित करने वाले किसी विशेष मानदंड को निर्धारित करना आवश्यक नहीं है क्योंकि अदालतों के निर्णय के दिशा-निर्देश यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि क्या कोई विशेष कार्यालय लाभ के पद का है या नहीं और इसकी व्यावहारिक परिभाषा संभव नहीं है।

प्रस्तावित बिल की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar S...
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tr...
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(i) यह बिल संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के प्रयोजनों के लिए "**लाभ का पद**" अभिव्यक्ति को परिभाषित करना चाहता है।

(ii) यह विशेष रूप से कार्यालयों की छूट प्राप्त श्रेणियों को प्रदान करता है।

(iii) यह "संसद या राज्य विधानसभा में कार्यालय", "वेतन", "पारिश्रमिक", "प्रतिपूरक भत्ता" और "सलाहकार कार्यालय" की शर्तों को भी परिभाषित करता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति आयोग से मामले में टिप्पणी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। विधि और न्याय मंत्रालय भी इस मामले के प्रस्ताव के समर्थन में है।

यह मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

Agenda item No.- 3	**Note for Cabinet on the Action on the Report of the Joint Committee to examine the constitutional and legal position relating to Office of Profit**

FILE NO- Meeting/4/2019/RU-III

The MTA vide letter No. 20025/11/2019 dated 09/04/2019 has forwarded the copy of D.O. letter No. 17(2)/2018- Leg. III dated 28th February 2019 of Secretary, Legislative Department along with the note for the Cabinet. The expression "office of profit has been referred to in articles 18(3), 18(4), 58(2), 66(4), 102(1) (a), 158 (2) and 191(1) (a) of the Constitution of India. Article 102 of the Constitution deals with the disqualification for membership of either House of Parliament. Sub-clause (a) of clause (1) of article 102 provides that a person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of either House of Parliament if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State, other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder. Similar provision contained in sub-clause (a) of clause (1) of article 191 of the Constitution governs the disqualification of membership of the Legislatures of the State.

In part-II of its Report, the Joint Committee has considered the need for definition of "office of profit" and its feasibility. The Constitutional experts including the then Attorney General of India were of the view that while a definition of "office of profit" was a theoretical possibility, its application, encompassing the entire gamut of the issue involved, to have the desired result would be very difficult in terms of interpretation of the words/ phrases/clauses contained in it which would result in numerous court cases. Majority of them were not in favour of evolving any definition. Further, laying down any particular criteria defining "office of profit" is not necessary as the judgments of the courts were enough guidelines to determine whether a particular office was an office of profit or not and a workable definition did not appear to be feasible.

Salient features of the proposed Bill are given below:

(i) The Bill seeks to define the expression "Office of Profit" for the purposes of articles 102 and 191 of the Constitution.
(ii) It provides the exempted categories of offices specifically.
(iii) It also defines the terms "office in Parliament or in a State legislature", "salary", "remuneration", compensatory allowance" and "advisory office".

The MTA has requested to NCST to furnish the comment in the matter. The Ministry of Law & Justice is in support of the proposal of the matter.

The matter is placed for consideration by the National Commission for Scheduled Tribes.

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग का यह मत है कि जैसे अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी की तरह उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को चुनाव लड़ने की अनुशंसा की जानी चाहिए। इसके लिए आयोग, प्रधानमंत्र भारत सरकार एवं चुनाव आयोग को इस संदर्भ में पत्र लिखेगा)

[The matter was discussed in detail. The National Commission for Scheduled Tribes is of the view that just like the Chairperson, NCST all other offices i.e., the Vice-Chairperson and the Members of NCST should be made exempted categories of offices specially].

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मदः 1	माननीय अध्यक्ष महोदय ने बस्तर जिले के 5 हजार आदिवासी परिवार जो कि वामपंथी उग्रवाद के कारण छत्तीसगढ़ से पलायन करके आंध्रप्रदेश और तेलगांना में रोजी–रोटी की तलाश में वहां के निवासी बन गए थें। वे उपरोक्त परिवार अब छत्तीसगढ़ में वापिस आना चाहते हैं। अतः छत्तीसगढ़ सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें और उनको कृषि भूमि भी आंवटित की जाए, तभी उपरोक्त परिवारों का पुनर्वास संभव है। ये विषय गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संदर्भित है। (इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। इस संदर्भ में आयोग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ओडिशा राज्य, छत्तीसगढ़, तेलगांना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों से इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट मांगेगा तथा इसके बाद जनजातियों के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय/जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ एक बैठक आयोजित करेगा।) [This issue was discussed in detail. In this context, the Commission will seek report from Ministry of Home Affairs, Government of Odisha, Chattishgarh, Telangana, Maharashtra and Andhra Pradesh on the issue and there after hold a meeting with concerned Ministries/State Government.]

अतिरिक्त कार्यसूची मदः 2	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभिन्न समाचार–पत्रों के माध्यम, स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि मुंबई के वी.वाई. नायर हासपिटल में अध्ययनरत एक अनुसूचित जनजाति छात्रा सुश्री पायल तड़वी को गैर अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के द्वारा मानसिक प्रताड़ित किए जाने के उपरात आत्महत्या किया जाने का मामला संज्ञान में आया है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक दल मामले की स्थलीय जांच कर तथ्यों का पता लगाएगा। आयोग जून के प्रथम सप्ताह में दौरा करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली है जो कि एक होनहार मेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थी। उसके सीनियर डॉक्टर्स के दुर्व्यवहार/मानसिक उत्पीड़न से पीड़ित होने के कारण पायल तड़वी ने आत्महत्या जैसा जघन्य कदम उठाया। (इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग का मत है कि आयोग घटना स्थल का दौरा करेगा तथा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से विचार–विमर्श करने के उपरांत ही आयोग अपना मत प्रस्तुत करेगा।) [The matter was discussed in detail. The Commission will make visit to the spot and submit its view after discussing this matter with the officers of the Govt. of Maharashtra.]

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अतिरिक्त कार्यसूची मदः 3	माननीय उपाध्यक्ष महोदया ने बताया कि चंद्रपुर, महाराष्ट्र में बालिका छात्रावास में छात्राओं को नशे की गोलियां देने के उपरांत उनका यौन शोषण किया था। ऐसे जघन्य अपराध पर भी जिला प्रशासन द्वारा घोर लापरवाही बरती गई। आयोग को यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में आयोग के माननीय सदस्य, श्रीमती माया चितांमण ईवनाते ने दौरा करने के उपरांत अपनी जांच रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत कर दी है। आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों को उचित कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है। आयोग को यह भी अवगत कराया गया है कि मामले में आगे की जांच हेतु प्रकरण को सीबीआई को भेजा जाए। (इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। आयोग ने प्रकरण को गंभीरता से लिया और यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण में एक बैठक महाराष्ट्र राज्य सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों/विभागों एवं सीबीआई निदेशक के साथ बैठक बुलाई जाएगी। आयोग के संबंधित एकक को फाईल प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।) [The matter was discussed in detail. The Commission took the matter seriously and decided that in this matter a meeting will be called with all the concerned Departments of the Govt. of Maharashtra and Director, CBI. The concerned unit of the Coommission should be directed to submit the file].

अतिरिक्त कार्यसूची मदः 4	आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की समय अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष करने के संबंध में माननीया उपाध्यक्ष महोदया ने बैठक में यह बताया कि संविधान की पांचवी तथा छठीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र क्रमशः घोषित किए गए है। अनुसूचित क्षेत्र आंध्रप्रदेश (तेलगांना), झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में घोषित है। जबकि जनजातीय क्षेत्र असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में घोषित है। प्रत्येक राज्य की समस्याएं अलग–अलग है। इन सभी क्षेत्रों के लिए दूरदराज में जाना होता है इसके लिए समय की आवश्यकता होती है। ये अनुभव रहा है कि जब तक इन सभी की समस्याओं की जानकारी होती है तब तक कार्यकाल पूरा हो जाता है। अतः सभी सदस्यों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तीनों सदस्यों) का कार्यकाल पांच वर्ष होना चाहिए जिससे संबंधित सदस्य अपने अनुभव जनजातियों के प्रति योगदान कर पाएगा। अतः तीन वर्ष के स्थान पर पांच वर्ष का समय दिया जाना चाहिए।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	(आयोग ने सहमति प्रदान की और इस संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय को पत्र लिखा जाएगा।) **(The Commission give its consent and in this context, a letter will be written to the Ministry of Tribal Affairs.)**
अतिरिक्त कार्यसूची मदः 5	आयोग की 101 वीं मीटिंग में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने निर्णय लिया था कि आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय शिलांग को गुवाहटी स्थानांतरित करने का अनुमोदन किया था लेकिन मई, 2019 के महीने में मेघालय में आयोग के दौरे के दौरान आयोग ने यह अनुभव किया कि अनुसूचित जनजाति की बहुलता को देखते हुए अनुच्छेद 6 की अनिवार्यता को भी ध्यान में रखते और 101 वीं मीटिंग के निर्णय को निरस्त करते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि शिलांग के क्षेत्रीय कार्यालय को यथावत रखा जाए। [The matter was discussed in detail. The Commission has decided to keep/retain its Regional Office at Shillong in place of shifting to Guwahati. As the sufficient population are residing in Schedule VI. This supercedes the decision taken in the 101st meeting of the Commission].

02.07.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi